प्रेषक,

संख्या– \ /XV-2/01(27)/2005

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02

देहरादूनः दिनांक 27 मई, 2014:

विषय– वित्तीय वर्ष 2014–15 अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत तालाब निर्माण, प्रशिक्षण, फील्ड ट्रिप, प्रचार प्रसार एवं साहित्य विवरण आदि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–97/वा0यो0 **(TSP)**/2014–15, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में मत्स्य विभाग को अनुसूचित जनजाति उपयोजना के कल्याणार्थ राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिश फार्मिंग अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु रू0 27.50 लाख (रूपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इस आहरण कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	मद का नाम	धनराशि
1.	मैदानी तालाब निर्माण	4.70
2.	पर्वतीय तालाब निर्माण	18.70
3.	प्रशिक्षण	1.10
4.	गोष्ठी	2.00
5.	प्रचार–प्रसार एवं साहित्य विवरण	1.00
	कुल योगः–	**27.50**

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, मत्स्य द्वारा करके आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
3. मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2015 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेग। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा, ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सकेगा।
7. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, (समय-समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी0जी.एसन.एन.डी. की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-00-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-03-राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिश फार्मिंग-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-**07P/XXVII-4/2014** दिनांक 23 मई, 2014 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपांगी)
सचिव।

संख्या- २५५ **(1)/XV-2/2014तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मंत्री मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।